लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स छेछर सेण्ड माईन (प्रो. श्री आकाश अग्रवाल), ग्राम– छेछर, तहसील – कसडोल, जिला – बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा नं. – 1, कुल क्षेत्रफल – 10 हेक्टेयर में प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 25.11.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत् मेसर्स छेछर सेण्ड माईन (प्रो. श्री आकाश अग्रवाल), ग्राम– छेछर, तहसील – कसडोल, जिला – बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.), स्थित पार्ट ऑफ खसरा नं. – 1, कुल क्षेत्रफल – 10 हेक्टेयर में प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई कराने हेतु छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया है। दैनिक समाचार पत्रों नई दुनिया रायपुर एवं द पायोनियर नई दिल्ली में दिनांक 25/10/2024 को लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 25.11.2024 को समय प्रातः 10:00 बजे से ग्राम– छेछर स्थित हायर सेकेण्डरी स्कूल मैदान, ग्राम– छेछर, तहसील – कसडोल, जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.) में लोक सुनवाई का आयोजन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई व तामीली भी ली गई।

परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक सुनवाई दिनांक 25.11.2024 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार – भाटापारा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई स्थल में क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर, गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं लगभग 100 जन सामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई की प्रक्रिया प्रातः 10:00 बजे आरंभ हुई।
2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये है, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है, (पृष्ठ क्रमांक 1 से 04 तक)।
3. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया से लोक सुनवाई आरंभ करने का निवेदन किया गया।

4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की गई तथा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया।

5. परियोजना प्रस्तावक श्री आकाश अग्रवाल ने कहा कि आज दिनांक 25.11.2024 को हायर सेकेण्डरी स्कूल मैदान, ग्राम– छेछर, तहसील – कसडोल, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में परियोजना प्रस्तावक श्री आकाश अग्रवाल द्वारा आवेदित छेछर सेण्ड माईन खनन परियोजना (प्रो. श्री आकाश अग्रवाल), प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना के पर्यावरण स्वीकृति के तहत् लोक सुनवाई कार्यक्रम में माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित ग्रामवासी का मैं स्वागत करता हूँ और माननीय अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा महोदय की अनुमति से मेरे द्वारा आवेदित छेछर सेण्ड माईन रेत खदान के लोक सुनवाई में परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु नेबेट प्रमाणिक अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

श्री बुद्ध देव पाण्डेय, नेबेट प्रमाणित मे. अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार की ओर से कहा गया कि माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार– भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, जिला रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी, परियोजना प्रस्तावक श्री आकाश अग्रवाल की छेछर सेण्ड माईन खनन परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् आज दिनांक 25/11/2024 को आयोजित लोकसुनवाई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। छेछर रेत खदान, रकबा – 10 हेक्टेयर और उत्पादन क्षमता – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष है। कुल क्लस्टर क्षेत्र – 10 हेक्टेयर है। लोक सुनवाई का आयोजन हायर सेकेण्डरी स्कूल मैदान, ग्राम– छेछर, तहसील –कसडोल, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में दिनांक 25/11/2024 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है। जन सुनवाई की प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है 14 सितंबर 2006 के ईआईए नोटिफिकेशन और इसके अधीन किए गए संशोधनों के अनुसार क्षेत्र बी–1 श्रेणी में आता है, जिसके अंतर्गत आज आयोजित लोक सुनवाई का कार्यक्रम पर्यावरण

स्वीकृति की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। लोक सुनवाई की जानकारी को 2 समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया रायपुर एवं द पायोनियर नई दिल्ली, में दिनांक 25/10/2024 को प्रकाशित किया गया है। लोक सुनवाई संपन्न होने की नियत तिथि एवं स्थान की सूचना को सार्वजनिक किया गया। आदेशानुसार कोटवार ग्राम पंचायत– छेछर द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थानों पर लोकसुनवाई का दिन समय और स्थान को मुनादी करते हुए जन सामान्य को सूचना दी गयी। लोक सुनवाई हेतु जन सूचना के सम्बन्ध में, कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार– भाटापारा, द्वारा दिनांक 18/10/2024 को पत्र जारी किया गया था। खनिज विभाग जिला बलौदाबाजार– भाटापारा द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 6 के अनुसार रेत खदान की नीलामी के उपरांत आवेदक को अधिमानी बोलीदार घोषित करने के साथ, आवश्यक शासकीय अनुमति एवं प्रपत्र के साथ 5 वर्षों के रेत खनन के लिए आशय पत्र जारी किया गया है, सेण्ड माईन खदान का उत्खनिपट्टा के लिए नियमानुसार समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त की गयी है एवं की जा रही है। आवेदित क्षेत्र से संवेदनशील संरचनाओं की दूरी मानकों से अधिक है। अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार छेछर रेत खदान में कुल रिकव्हरेबल रिजर्वस 1,80,000 घनमीटर है। छेछर सेण्ड माईन में वर्षवार उत्पादन के क्रम में, 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 1,80,000 घनमीटर उत्पादन प्रस्तावित है। छेछर रेत खदान में कुल जल की आवश्यकता 9.00 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। खदान में कुल जनशक्ति की आवश्यकता 24 व्यक्ति होगी। खदान में कुल मशीनों एवं उपकरणों की संख्या 7 होंगी। जलवायु स्थिति – अध्ययन काल – शीत ऋतु 2023 –24 (20 अक्टूबर 2023 से 20 जनवरी 2024) तक अधिकतम तापमान – 33.31°C, न्यूनतम तापमान – 3.74°C, हवा की गति– 2.27 मीटर/सेकंड, प्रभावी पवन दिशा– उत्तर – पूर्व, औसत वर्षा – 0–0.2 मिलीमीटर रही। वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा के विश्लेषण के परिणाम निर्धारित मानकों के भीतर पाए गये। वायु, जल, मृदा, स्वास्थ्य, वनस्पति एवं जीव प्रबंधन के लिए लोडिंग (भरना) – लोडिंग और हॉल रोड पर पानी का छिडकाव किया जायेगा। परिवहन के लिए ट्रकों को तारपोलिन द्वारा ढका जाएगा। ओवर लोडिंग को रोका जायेगा। सभी परिवहन साधनों के लिए वैध पी.यू.सी. होना सुनिश्चित किया जाएगा। पौधारोपण के लिए एप्रोच सड़क, कच्ची सड़कों में एवं नदी तट पर में पौधे लगाकर हरित पट्टिका का विकास किया जाऐगा। वायु गुणवत्ता के लिए वाहनों की आवाजाही और लोडिंग आदि के कारण धूल के उत्पादन और प्रभाव और प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिडकाव किया जायेगा। डीजल इंजनों का नियमित रखरखाव किया जायेगा। सतह जल प्रबंधन में सतही जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी।

सक्रिय चैनल में खनन नहीं किया जाएगा और सक्रिय चैनल के साथ न्यूनतम 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा ताकि जलीय जीवन और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए। भूमिगत जल प्रबंधन में आवेदित नदी तल क्षेत्र पर दोनों खदानों में रेत का जमाव औसत 5.23 मीटर या उससे अधिक की गहराई तक है। इस क्षेत्र में भूजल स्तर नदी के तल की सतह के स्तर से 4.30 मीटर गहराई से नीचे है। खनन 3 मीटर जल स्तर की गहराई तक सीमित रहेगा। रेत में कोई विषैला तत्व नहीं होता है, इस प्रकार भूजल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपशिष्ट जल प्रबंधन में खनन कार्य के दौरान कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा। अस्थायी साइट कार्यालय और एक विश्राम आश्रय का निर्माण किया जाएगा। खदान कार्यालय और विश्राम आश्रय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किए जाएंगे। स्वास्थ्य, सुरक्षा हेतु ऑन – साइट प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, है और आपात स्थिति में कर्मचारियों को स्थानीय समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। ध्वनि गुणवता प्रबंधन के लिए ध्वनि स्तर को कम करने के लिए वाहनों एवं मशीनों का उचित रख–रखाव, आइलिंग एवं ग्रीसिंग की जायेगी। सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगें। ध्वनि के प्रसार को कम करने के लिए कच्ची सड़कों एवं नदी तट एवं अप्रोच सड़क पर हरित पट्टिका का विकास किया जाऐगा। आवधिक ध्वनि परीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। जोखिम वाले श्रमिकों द्वारा कान के मफस का उपयोग किया जाएगा। खनन उपकरण पर काम करते समय COVID -19 को देखते हुए कान के मफ, मास्क और सभी आवश्यक पीपीई प्रदान किए जाएंगे। खदान के समीप नदी के तट पर, स्थित खसरा नंबर 173/1 में कुल 2,000 स्थानीय प्रजाति के पौधें जैसे अर्जुन, जामुन ,करंज, सीसम कदम्ब आदि पौधे लगाए जायेंगे एवं सुरक्षा के लिए फेंसिंग की जावेगी । समाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव– परियोजना से समीपस्थ कृषि भूमि को कोई नुकसान नही है। परिणामतः परियोजना गतिविधि से कोई भी अन्य भूमि या मानव बस्ती प्रभावित नही होगी। परियोजना के शुरु होने के साथ लोगों द्वारा अनुमानित किए जाने वाले प्रभाव की तुलना में बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। आसपास के निवासियों को बेहतर रोजगार और अवसर के साथ रखा जावेगा, जिससे भूमिहीन और श्रमिक वर्ग के लिए अधिक आजीविका का विकल्प पैदा होगा। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों के साथ परिवाहन और संचार सुविधा को क्षेत्र के आसपास विकसित किया जायेगा। जिसका स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। खनन कार्य से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलेगा, जिससे निवासरत् लोगों का जीवनस्तर सामान्य से बेहतर होगा। आसपास के गांवों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सुविधा और

शिक्षा की सुविधा जैसे विकास कार्य लोगों की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाई जाएगी जिसे ग्राम समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। आपदा प्रबंधन योजना – एक योग्य खान प्रबंधक के प्रबंधन नियंत्रण और निर्देशन में पूरा खनन कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम – 2019 एवं बाद में हुए संशोधनों, उसमे निहित निर्देशों के अनुसार खनन कार्य किया जाएगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा माइन्स नियम, 1956 के अनुसार प्रारंभिक चिकित्सा जांच और श्रमिकों की आवधिक चिकित्सा जांच आयोजित की जाएगी। सफाई सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाएँ एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अपनाये जाएंगे। श्रमिकों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खदान के लिए उचित अग्निशमन सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। परियोजना से लाभ निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन उत्पन्न करना। रोजगार पैदा करना। अध्ययन क्षेत्र के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार। भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार। सामाजिक अवसंरचना में सुधार। रोजगार क्षमता में वृद्धि। खनन के दौरान और बाद में हरित आवरण में वृद्धि। अवैध खनन की रोकथाम। राजकोष में योगदान। खान पट्टा क्षेत्र के आसपास के निवासी मुख्य रूप से कृषि प्रधान हैं। रोजगार गतिविधियों के अवसर सृजित होंगे और खनन स्थायी आजीविका के स्रोत के रूप में काम करेगा। खदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार सृजित करेगी। अतिरिक्त, परिवहन जैसे कुछ कार्यों को अनुबंध पर आउटसोर्स किया जाएगा। इसलिए, खनन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहने की उम्मीद है। परियोजना की लागत छेछर सेण्ड माईन की कुल पूंजी लागत की राशि – 53.92 लाख रुपये है। खदान के लिए सीईआर की कुल राशि. 1.18 लाख रुपये होगी। पर्यावरण प्रबंधन योजना पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के नदी तट क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं एप्रोच रोड ,रैंप में जल छिड़काव की व्यवस्था, सड़क के रखरखाव, खान श्रमिकों के लिए सुविधाएं एवं पर्यावरण की निगरानी एवं ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर इत्यादि के लिए बजट – कुल पूंजीगत लागत – 3,25,625, कुल आवर्ती लागत खदान में – 5,62,000, प्रथम वर्ष में ईएमपी की कुल लागत खदान में – 8,87,625 होगी। संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के समीप नदी के किनारे वृक्षारोपण एवं अप्रोच रोड मे जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी तथा पर्यावरण की निगरानी के साथ–साथ ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के लिए भी संयुक्त रूप से पृथक बजट बनाया जायेगा। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि खनन परियोजना के क्रियाकलापों के प्रारंभ होने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में

एवं स्थानीय निवासियों को जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बुनियादी ढॉचें के विकास का अवसर प्राप्त होगा। खनन परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रुप से रोजगार का सृजन होने से क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध संशाधनों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह खनन परियोजना से राज्य के राजकोष में राजस्व में भागीदारी के साथ–साथ राज्य के वित्तीय विकास में अपना अंशदान एवं योगदान भी देगा। जो राज्य शासन के वित्तीय विकास मे क्षेत्र निवासियों की भागीदारी साबित करेगा। परियोजना से संबंधित अन्य जानकारियां परियोजना से संबंधित अन्य समस्त जानकारियां पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट, कार्यकारी सारांश इत्यादि को, नियमानुसार पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तुतीकरण की प्रति, लोकसुनवाई के अध्यक्ष, अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार – भाटापारा, क्षेत्रीय अधिकारी राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा सहयोगी दल को भी उपलब्ध करा दी गयी है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के द्वारा कहा गया कि अभी आपके सामने परियोजना का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में विचार व्यक्त करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूॅ। आप कृपया यहां पर आयें माईक के पास एक–एक कर के और इस परियोजना के संबंध में अपना पक्ष या विपक्ष जो भी आप कहना चाहते हैं आकर अपना विचार रखें। आप अपना विचार व्यक्त करने से पहले अपना नाम और गांव का नाम बतायें। इसके बाद आप अपना विचार रखें। जिनको लिखित में देना है, वो लिखित में भी दे सकते हैं। मंच के पास काऊंटर बना है, वहां आप अपना लिखित में अभ्यावेदन दे सकते हैं और जिनको बोलना है वो कृपया माईक पर आयें और अपना विचार व्यक्त करें।

1. श्री अमरीश कुमार वर्मा, ग्राम– छेछर ने कहा कि क्योंकि मैडम हमारे गाँव में बैठक हुआ था उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि हमारे गाँव की ओर से माइनिंग नहीं होगा, इसका विरोध हो रहा है, मैडम हम चाहते है कि ये माइनिंग का काम यहीं बन्द कर दिया जाए। आगे कुछ नहीं होना चाहिए।
2. श्री दुर्गा प्रसाद प्रजापति, ग्राम– छेछर ने कहा कि जब से माइनिंग का कान्ट्रेक्ट हुआ तब गाँव से सम्पर्क किया गया क्या? कल जो मीटिंग में हुआ है, उसके हिसाब से मुझे पता नहीं था कि गाँव से सम्पर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्टर लोग आये थे, गाँव में सम्पर्क करने के लिए तो मेरा कहना है कि पहले तो शासन को इन्फॉर्म करना चाहिए या गाँव को और इसके बारे में मुझे नहीं पता था कि हुआ है नहीं हुआ है।
3. लोक सुनवाई उपस्थित एक व्यक्ति, ग्राम– कसडोल ने कहा कि अगर रेत खदान यहाँ पर चालू होता है, तो इससे ग्राम का भी विकास होगा और व्यापारियों का

भी होगा। बिल्डिंग मटेरियल का काम करता हूँ और रेती का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, अगर ये रेत खदान चालु होता है तो आने वाले समय में रेती की किल्लतें कम हो जाएगी।

4. श्री कमल बांधे प्रदेश अध्यक्ष इंटक छत्तीसगढ़, प्रदेश संरक्षक छत्तीसगढ़ ने कहा कि आज के पर्यावरणीय छेछर सेण्ड माईन के पर्यावरण लोक जनसुनवाई में पहुंचे आदरणीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी महोदय जी, पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी और श्रम विभाग के सभी अधिकारी, पर्यावरण विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, राज्य उद्योगिक स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हमारे थाना प्रभारी कसडोल एवं समस्त स्टाफ, आदरणीय थाना प्रभारी लवण एवं समस्त स्टाफ, आदरणीय सी. एस. पी. साहब और पुलिस बल के हमारे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, छेछर सेण्ड माईन के संचालक आदरणीय श्री आकाश अग्रवाल जी, हमारे छेछर गाँव के सभी पंच एवं सरपंच, हमारे युवासाथी, हमारी माता और बहन और आदरणीय सभी पत्रकार साथी आज छेछर सेण्ड माईन के पर्यावरणीय लोक सुनवाई में हार्दिक स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ और स्वागत और समर्थन इसलिए कर रहा हूँ छेछर सेण्ड माईन के संचालन से होने से हमारे स्थानीय बेरोजगार युवा साथी लोग को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, गौण खनिज रॉयल्टी मत सी. एस. आर. फंड से मिलने वाली राशि से हमारे छेछर और आस–पास गांव के सर्वांगीण विकास होगा, साथ ही गौण खनिज रॉयल्टी मद सी. एस. आर. फंड एवं डी. एम. एफ. फंड से हमारे गांव के साथ ही प्रदेश के विकास में भी एक अग्रणी भूमिका निभायेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास हैं और मैं पुन: छेछर सेण्ड माईन के आज के पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई का मैं हार्दिक स्वागत और समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ.।
5. श्री अनीश कुमार वर्मा, ग्राम– छेछर ने कहा कि रेत खनन से हमारे गाँव में बाढ़ बहुत आता है और रेत खनन से और नुकसान होगा। हमारे गांव में रेत खनन के लिए मैं रोक लगाता हूँ।
6. श्री नंद राम वर्मा, ग्राम– छेछर ने कहा कि मैं समाज सेवक हूँ, हमारे ग्राम छेछर में रेत खदान के लिए शिविर लगा हुआ है इस पर मैं सहमत नहीं हूँ, मेरा मानना है कि इस पर रोक लगाया जाए। अभी हमारे गाँव के सभी मजदूर जो हैं वो काम पर गए हैं इसलिए हमें सुनवाई के लिए समय चाहिए ताकि बहुत सारी समस्या आ सकें और अपना बयान दर्ज करा सकें। मैं पहले भी बयान दर्ज करा चुका हूँ कि मैं इस खदान के विरोध में हूँ।
7. श्री सुंदर लाल साहू, ग्राम– छेछर ने कहा कि रेत खदान से हमारे गाँव में नुकसान होगा इसलिए मैं रोक लगाना चाहता हूँ और मेरी सहमति नहीं है।

8. श्री राकेश राम वर्मा, ग्राम– छेछर ने कहा कि रेत खदान से बिल्कुल में विरोध करता हूँ।
9. श्री परमानंद वर्मा, ग्राम– छेछर ने कहा कि मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज है। रेत खदान से हमारे गांव का विकास नहीं होगा और गांव नुकसान की ओर जा रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये रेत खदान रोका जाए और मेरी तरफ से विरोध है।
10. श्री मनराखन वर्मा, पंच वार्ड क्र. 02, ग्राम– छेछर ने कहा कि ये हमारा गांव डूबान क्षेत्र में आता है। अगर रेत निकाला गया तो पूरा गांव डूब सकता है। यहाँ तक की पानी आता है। इसलिए मैं रेत खदान का विरोध करता हूँ।
11. श्री ओमकांत निर्मलकर, प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ इंटक ने कहा कि मैं छेछर सेण्ड माईन का समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिए करता हूँ कि सर ने बताया है कि यहाँ जो गाँव नदी के पास है वहाँ रोक के लिए गाँव में पानी मत आये इसके डैम बनायेंगे और डैम बनायेंगे तो पानी इधर नही आयेगा और पानी इधर नहीं आयेगा तो गाँव डूबेगा नहीं और गाँव डूबेगा नहीं इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ और ये जो स्कूल है यहां पानी आ जाता है इसके लिए भी इन्होने सी. एस. आर. मद से रास्ता निकालेंगे बोले है, तो ये काम ऐसे ही करेंगे इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।
12. श्री मालिक राम कश्यप, ग्राम– छेछर ने कहा किये जो अभी आपको आवेदन दिया है वो समस्त ग्रामवासी के तरफ से है उसे मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है प्रति कलेक्टर महोदय जिला बलौदाबाजार विषय ग्राम पंचायत छेछर का रेत खदान खनन अस्वीकृत कर ठेका निरस्त करने बाबत्। महोदय विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत छेछर में रेत खनन स्वीकृत किया गया है ऐसा हमे जानकारी मिली है दिनाँक 04/11/24 को रात्रि 8 बजे गाँव में सामुहिक बैठक रखा गया जिसमे यह ठेका निरस्त करने की मांग सक्षम अधिकारी के करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से किया गया है क्योंकि निम्न कारण है कि अगर छेछर घाट से रेत का उत्खनन किया गया है तो इस गाँव का नदी तटबंध कटाव होने से गाँव के तह क्षेत्र नष्ट होकर नदी में बदल जाएगा। अभी वर्तमान में जो पानी लगा हुआ है। रेत खनन होने से हमारे गाँव तरफ का रास्ता एवं सड़क कमजोर हो जाएगा अगर इस तरफ से रेता निकाला जाएगा तो पीने का पानी का स्रोत बहुत कमजोर है जिसके कारण रास्ता खराब होने से उपयोग करने लायक नहीं रहेगा। रेत खनन के कारण बाढ़ का पानी गाँव की तरफ आ जाएगा जिससे गाँव को आए दिन बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। तटबंध में लगी फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष नदी के बाढ़ के कटाव के कारण बह जाने के कारण पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। तटबंध में लगे चारागाह क्षेत्र को नुकसान होगा जिससे गौवंश के

लिए पर्याप्त जगह नहीं बचेगा। अतः माननीय महोदय से निवेदन है हमारे गाँव में रेत खनन से भविष्य में होने वाले नुकसान को देखते हुए रेत खनन के ठेका को निरस्त करने की कार्यवाही करें। प्रार्थी समस्त ग्रामवासी।

13. श्री पदुम प्रसाद साहू, ग्राम– छेछर ने कहा कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि छेछर घाट को नीलाम कर रही है सरकार हम पूरे ग्रामवासी और मेरे विचार से व्यक्तिगत इस रेत खदान का विरोध करता हूँ। सरकार हमारे गाँव के रेत खदान को निरस्त करें, हमें आने–जाने कसडोल जाने में परेशानी होगी, कसगी जाने में परेशानी होगी और आस–पास के हमारे रेत खदान के रोड को देखते हुए हमारी समस्या को देखते हुए मैं रेत खदान को निरस्त किया जाए।
14. श्री सरोज कुमार वर्मा, ग्राम– छेछर ने कहा कि ग्राम पंचायत छेछर में रेत खनन को अस्वीकृत कर ठेका को निरस्त करने हेतु मैं रेत खनन के विरोध में हूँ यहाँ पर ठेका नहीं चलेगा और दूसरी बात है जो अभी गणमान्य नागरिक आए हुए हैं बाहर से वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर रेत खनन के लिए अनुमोदन कर रहे हैं। वो क्या जानेंगे कि हमारे गाँव में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे गाँव के बैठक में भी रेत खदान को निरस्त किया जाए और ठेका को निरस्त किया जाए और दूसरी बात है हमारे गाँव में ग्राम पंचायत छेछर के कछार जो होते हैं, चारागाह भूमि से अवैध कब्जा हटाने और उचित कार्यवाही करे, क्योंकि हमारे गाँव में यहाँ नदी तरफ गाय चराने का जगह या उसमें अवैध रूप से कलीन्दर लगा हुआ का है अपने मनमर्जी से, उसको भी हटाना चाहिए क्योंकि जो हमारे गाँव के पशु है वो खेत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और फसल को बर्बाद कर रहें हैं।
15. श्री गणेश राम वर्मा, ग्राम– छेछर ने कहा कि मैं ग्राम छेछर के रेत खनन के विरोध में हूँ।
16. श्री चन्द्रकांत केंवट, ग्राम– छेछर वार्ड– 4 ने कहा कि मैं अवैध रेत खनन के विरोध में हूँ।
17. श्री अजय कुमार साहू, ग्राम– कसडोल ने कहा कि अभी सरकार की विभिन्न योजनाएँ चल रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इसमें रेत की बहुत जरूरत होती है। अतः इससे क्या होगा अगर रेत खनन नहीं होगा तो इनको कालाबाजारी एवं जमाखोरी का विशेष दबाव झेलना पड़ेगा जिससे गाँव का विकास ही नहीं हो पाएगा। अतः इस रेत खनन को गाँव के सामंजस्य से चालू करना चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूँ।
18. श्री हेमलाल वर्मा, ग्राम– छेछर ने कहा कि हमें पता चला कि शायद ठेका हो रहा है उसके सम्बन्ध में हम लोगों ने गाँव भर में रात को बैठक किये थे। बैठक मे उससे सम्बन्धित आदमी भी था जिन्होने हमे बताया कि ऐसा हो रहा है तो हम

सबने मिलकर तय किया कि रेत खदान को बन्द किया जाना चाहिए, इससे हमारे आस–पास की चारागाह भूमि प्रभावित होगी, हमारे गाँव की बसाहट नदी के किनारे में है और मूल बात ये है कि वो जो जमीन दिखा रहा है वो ऊपर से घास भले हैं, लेकिन अन्दर से रेती का है और जब रेत खनन होगा तो जो धाराएँ है वो हमारे गाँव की तरफ जाएगी और गाँव की जो बसाहट है, उस तरफ अपनी वो नदी कटाव करेगी ये बहुत जरूरी हैं कि इस पर रोक लगाया जाए। बस आप लोगों से मेरा निवेदन है।

19. श्री रामचरण केवंट, ग्राम– छेछर ने कहा कि रेत खनन बंद करें और हमारे गाँव को बर्बाद न करें। हमारा गाँव बर्बादी की ओर जा रहा हैं, इसका विकास करें और हमारे गाँव के विकास के लिए पूल का निर्माण करें और विकास बढ़ाए।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा कहा गया कि इस जनसुनवाई में जो आम जनता के द्वारा अपना विचार व्यक्त किया गया है, उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक क्या विचार रखते हैं, वो आकर अपना स्पष्टीकरण दें।

परियोजना प्रस्तावक श्री आकाश अग्रवाल ने कहा कि, मेरे द्वारा आवेदित छेछर रेत खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाये गये विकल्पो के संबंध में हमारी ओर से जवाब देने के लिए नेबेट में प्रमाणिक अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

श्री बुद्ध देव पाण्डेय द्वारा बताया गया है कि दिनांक 25.11.2024 को हायर सेकेण्डरी स्कूल मैदान, ग्राम– छेछर, तहसील – कसडोल, जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.) में आवेदित छेछर रेत खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाये गए विकल्पों को स्वीकार करते हुए माननीय अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, का परियोजना प्रस्तावक श्री आकाश अग्रवाल की ओर से यह आश्वासन देना चाहते हैं कि, आवेदक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान का सं्चालन अनुमोदित उत्खनन योजना में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जावेगा एवं खदान संचालन के दौरान खनिज शाखा तथा पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। इसके साथ ही जनसामान्य द्वारा दिए गए एक समान सुझावों, पूछे गए एक समान प्रश्नों एवं एक समान आपत्तियों के एवं अन्य के उत्तर निम्नानुसार हैं छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श

पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जायेगा ।रेत का परिवहन ग्रामीण मार्ग के अलावा अन्य गैर रहवासी क्षेत्र से होकर किया जावेगा। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु, सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कर के प्रदूषण को कम किया जावेगा तथा अन्य धूल उड़ने वाले बिंदुओं पर जल का छिड़काव करके धूल उत्सर्जन को नियंत्रित किया जावेगा, एवं समय –समय पर सड़क का उचित रख रखाव भी कराया जावेगा। नदी तट से मृदा कटाव के रोकथाम के लिए, नदी तट क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत 2,000 नग पौधे, स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण तथा सुरक्षा के लिए चेनलिंकफेंसिंग के साथ, नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जावेगा। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एव व्यवसाय) नियम–2019, के अनुसार समस्त सार्वजनिक स्थलों से नियमानुसार दूरी रखते हुए रेत उत्खनन हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.), द्वारा सम्बंधित विभागों जैसे ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग इत्यादि से कानून सम्मत नियमानुसार प्रक्रिया के तहत अनुमति/जॉच प्रतिवेदन मॅगाया जाता है। विभिन्न विभागों के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन को जॉच लेने के पश्चात्, चिन्हांकित सीमांकित करते हुए घोषित किया जाता है। कार्यालय कलेक्टर जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) द्वारा टेंडर/ऑक्शन जारी करते हुए विजेता को आशय पत्र जारी किया गया है। नदी तट से 450 से 500 मीटर की दूरी, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम–2019, सस्टेनेबल सेंड माइन गाईडलाइन 2016 एवं एनफोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइड लाइन फॉर सैंड माइनिंग 2020 के अनुसार नियत प्रतिबंधित दूरी छोड़ते हुए रेत का खनन नियमानुसार प्रस्तावित है। साथ ही–जलीय जीवन और तटीय आवासों की सुरक्षा के लिए सक्रिय चैनल में खनन नहीं किया जाएगा और सक्रिय चैनल के साथ न्यूनतम 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा ताकि जलीय जीवन और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए। परियोजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी एवं संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी हमारे द्वारा लोक सुनवाई के आरंभ में बताया गया है। पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में संपुर्ण जानकारी एवं प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन योजना के रूप में पब्लिक डोमेन उपलब्ध है। हमारे प्रकरण में लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाए गये हैं उसके संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं जानकारियों के अनुसार निराकरण किया जाएगा। इस सम्बन्ध में शपथ पत्र भी राज्य स्तर पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा ग्रामवासियों के द्वारा दिए गए सुझाव एवं समर्थन का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा ने कहा कि आज इस जन सुनवाई में जो भी कार्यवाही की गई वो सभी रिकॉडिंग कर ली गई है। आप सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विचार अपना अभिमत व्यक्त किया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूॅ और आज की जन सुनवाई यहीं पर समाप्ति की घोषणा करती हूॅ। पूर्वान्ह लगभग 11:45 बजे लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई। लोकसुनवाई के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या 02 है। संपूर्ण लोकसुनवाई की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.)	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)